हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

23/1/17 आज यह प्रार्थना पत्र U/S 136 भू. राजस्व 1956 के तहत तहसीलदार कोटकासिम ने पेश किया। प्रार्थना पत्रा. दर्ज रजिस्टर किया जावे। तह. कोट. ने प्रस्तुत प्रार्थना में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेदकान से सम्बन्धित पक्षकारान को तहसील कार्यालय से पुनर्वास के नोटिस जारी किये जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है। प्रथमगत आपत्ति के सम्बन्ध में कार्य उपरान्त सम्बन्धित पक्षकारान द्वारा [illegible] नहीं की गयी बाद गौर प्रार्थना पत्रा. दिनांक 3/2/2017 को पेश हो। [signature]

3/2/17 पत्रा. पेश हुई प्रार्थना पत्रा. के रिकार्ड का अवलोकन किया। पेशकार को सुना गया। बाद बहस प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेश पत्रा. किया गया। इश्तहार जारी किया जावे। पत्रा. फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। [signature]

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदी लाल मीना (R.A.S.)

दावा संख्या 05 दायर दिनांक 23.01.2017 निर्णय दिनांक 03/02/2017

अनुवान

सरकार

बनाम

ओमप्रकाश वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि तहसीलदार कोटकासिम के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी ए 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है। एवं खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. किस्म बारानी 2 में से कच्चा/पक्का रास्ता कायम होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. में से 0.02 है. भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है।

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज.6/2009/पार्ट/04 दिनांक 10/08/2016 के परिपेक्ष में चालु स्थाई रास्ते है जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानुसार अंकन किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपरोक्त आराजी में से रास्ते के रूप में काम आ रहे भू–भाग को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करे ।

प्रकरण को दर्ज किया जाकर अवलोकन किया गया और पाया कि ग्राम जाटूवास के खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. में से 0.02 है. भूमि वर्तमान में मौके पर रास्ता चालु है तथा अर्से दराज से चालु है एवं स्थानिय निवासी आने जाने, माल समान के परिवहन हेतु रास्ते के रूप में उपयोग लेते आ रहे है। इस संबंध में तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा संबंधित खसरा नम्बरान के खातेदारान को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानों के

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अनुसार सम्मन भी दिया गया और नियत अवधि में काश्तकारों द्वारा कोई आक्षेप पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी काश्तकार को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आदेश है कि ग्राम जाटूवास के खसरा नम्बर 1078 / 809 रकबा 0.30 है. में से 0.02 है. तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट अनुसार चालु रास्ते का पृथक खसरा नम्बर कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सेवा में

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

कोटकासिम जिला अलवर।

प्रार्थना पत्र संख्या ....

रीडर
30
23/1/2017

1. राज्य सरकार ज़र्ये भूमिधारी तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी जाटूवास

2 रामनिवास पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी जाटूवास

3 कर्मवीर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी जाटूवास

4 रमेशचन्द पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जाटूवास

5 धर्मपाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जाटूवास

6 राज सिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जाटूवास

7 धर्मवीर पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जाटूवास

8 लक्ष्मी देवी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी जाटूवास

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

महोदय,

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन है:–

1. यह है कि वाके ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम हाल आराजी खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. किस्म बारानी 2 राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी हक में दर्ज रिकार्ड है।
2. यह है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. किस्म बारानी 2 में से कच्चा/पक्का रास्ता कायम होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 है. में से 0.02 है भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है।

तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

3. यह है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांकः प.3(2)राज. 6/2009/पार्ट/04 दिनांक 10/08/2016 के परिपेक्ष में चालु स्थाई रास्ते है जो वारहमासी है तथा मौसम/ऋतु अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86 के प्रावधानुसार अंकन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान के खातेदारो को नोटिस जारी किये गये है। एवंम् तामील के उपरान्त कोई उजरदारी प्राप्त नही हुई है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र श्रीमान के सूनने योग्य क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत हैं।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र राज्यहित में होने से निःशुल्क कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

7. अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम जाटूवास तहसील कोटकासिम अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की खातेदारी/गैरखातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1078/809 रकबा 0.30 हे. में से 0.02 है भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है। अत : पैरा 3 में वर्णित विधिक प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उपरोक्तानुसार रकबा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करावे।

प्रार्थी

दिनांकः–

तहसीलदार, कोटकासिम
(भूमिधारी)

तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)

सत्यापन

मैं प्यारेलाल सोठवाल तहसीलदार, कोटकासिम सत्यापित करता हुॅ कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 लगायत 6 मेरी जानकारी व विश्वास में सही है।

(प्यारे लाल सोठवाल)

तहसीलदार
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner